न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 71/2022 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2022/92

नगर पालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गादत्त पुत्र स्व. बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 22 मिनी मार्केट सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. बृजलाल पुत्र स्व. बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 22 मिनी मार्केट सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. लक्ष्मी पुत्री स्व. बीरबलराम शर्मा पत्नी पुरूषोतम जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड 17 पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. पुष्पा देवी पुत्री स्व. बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद मार्फत रामनिवास 630 के वार्ड नं. 27 हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. महावीर प्रसाद पुत्र स्वः बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

5/1. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व. महावीर प्रसाद पुत्रवधू स्व. बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़।

5/2. राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व.महावीर प्रसाद पौत्र स्व. बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5/3. मांगीलाल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद पौत्र स्व. बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5/4. सरोज पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी भरतलाल जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद ग्राम हरकेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

5/5. कमलेश पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी रामनाथ कुटिया के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5/6. तारा पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी श्याम सुन्दर जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड नं. 22 गुरूद्वारा रोड़ रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

5/7. माया पुत्री स्व. महावीर प्रसाद पत्नी प्रभुदयाल जाति जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद ग्राम सांगड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5/8. उर्मिला पुत्री स्व. महावीर प्रसाद मार्फत भादरराम जाति ब्राह्मण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड नं. 3, 12 एमएलडी–ए घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

6. मोहनलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

6/1. श्रीमती अंजु पुत्री स्व. मोहनलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

6/1/1. ललित कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार पिता स्व. अंजु (माता) जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6/1/2. अमित कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार पिता स्व. अंजु (माता) जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6/1/3. पूजा शर्मा पुत्री राजेन्द्र कुमार (पिता) व स्व. अंजु (माता) जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

6/1/4. पूनम पुत्री राजेन्द्र कुमार (पिता) व स्व. अंजु (माता) पत्नी मनीष कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 23 अग्रवाल मोहल्ला अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

7. बाबूलाल पुत्र बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर। (फौत)

7/1. श्रीमती सुमित्रा पत्नी बाबूलाल पुत्रवधू बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड नं. 39 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/2. सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. बाबूलाल पौत्र बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/3. नरेश कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल पौत्र बीरबलराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड नं. 39 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/3/1. श्रीमती अंजु पत्नी स्व. नरेश कुमार पुत्रवधू स्व. बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं: 39 हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/3/2. प्रतीक्षा पुत्र स्व. नरेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 39 हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7/3/3. अनमोल शर्मा पुत्र स्व. नरेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 39 हनुमानगढ़ जं. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री बहादुरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री बालकिशन शर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेंट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई हैं। अपील मीमों अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/1 में 3.948 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485 में 0.038 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485/23 में 0.329 हैक्टेयर इसप्रकार कुल 4.315 हैक्टेयर बारानी रकबा का तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ ने टी.सी.आवंटन श्रीमती कमला देवी पत्नी बीरबलराम को हुआ था। उक्त आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ व मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री वहादुर राम सुथार ने अपनी वहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2021 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। जैर अपील रकबा रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नंबर 485/1 में 3.948 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485 में 0.038 हैक्टेयर, खसरा नंबर 485/23 में 0.329 हैक्टेयर इसप्रकार कुल 4.315 हैक्टेयर बारानी रकबा, जो पूर्व में रेस्पोडेंट्स की माता/सास/दादी श्रीमती कमला देवी पत्नि वीरवलराम को टी.सी. आवंटन था, जिसका सम्वत् 2043 से कभी भी नवीनीकरण नहीं हुआ है व भूमि आराजीराज थी। इसकारण से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट सं. 1 का कब्जा काश्त पिछले 38 वर्षों से नहीं रहा है। उक्त भूमि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशों के मुताबिक कस्बा सूरतगढ़ के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण खारिज किया जाकर नगरपालिका सूरतगढ़ को वर्ष 2006 में सौंप दिया गया। मौके पर पिछले 16 सालों से अपीलांट द्वारा विकास कार्य किया जा रहा हैं। वादगत रकबा नगर पालिका की 2 किमी की परिधि में आ चुका है, जहां न तो खातेदारी मिल सकती है और न ही टी.सी. आवंटन नवीनीकरण किया जा सकता है। वादगत रकबा का स्वामित्व/कब्जा अपीलांट के पास है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिपोर्ट मंगाए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। आदेश जैर अपील 9 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जो मियाद बाहर थी। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी जब हुई जब अपीलांट के कर्मचारी वादगत भूमि पर विकास कार्य कर रहे थे। अपीलाधीन रकबा अपीलांट को सन् .2006 में हस्तांतरित हो चुका है। इस रकबा में अपीलांट ने आबादी बनाई हुई है। रेस्पाडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया। तदुपरांत अपीलांट को जानकारी होने पर प्रार्थना पत्र पेश कर पक्षकार बना। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। टी.सी. आवंटन एक वर्ष बाद या टी.सी. अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही खारिज हो जाएगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे। इस संबंध में आर. आर.डी. 1992 पेज नं. 431 व आर.बी.जे. 1999 पेज नं. 214 अवलोकनीय है।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 31.08.2006 रेस्पोडेन्ट्स को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर रेस्पो. के वर्षों पुराने टी.सी. आवंटन को अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। अपीलांट को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें सन 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत सन् 1970—71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन से लेकर संवत 2061 तक नवीनीकरण होता रहा है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो. का रकबा नगरपालिका पैराफैरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 31. 08.2006 को निरस्त किया जाना उचित एवं सही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने

अपीलांटा का वादगत रकबा नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया जबकि रेस्पो. का उक्त रकबा 8 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। तहसीलदार सूरतगढ़ को रेस्पो. के उक्त टी.सी. आवंटन को खारिज करने का अधिकार ही नही है। अपीलांट द्वारा वादगत भूमि में कोई स्कीम नहीं चला रखी है। अपीलांट स्वयं द्वारा रेस्पो. के हक में अनापति प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। आदेश दिनांक 31.08.2006 में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं वादगत भूमि कई वर्षो से ही आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सही एवं नियमानुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 पारित कर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 को निरस्त कर दिया। तहसीलदार सूरतगढ़ का उक्त आदेश दिनांक 31.08.2006 रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पारित किया गया है। साथ ही राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 के अनुसार टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को नही होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर को है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 न्यायोचित है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर